राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 14-05-2025
स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 91वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 91वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 14 मई, 2025 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री पी. आर. राजगोपाल ने की। बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में तथा माननीय कृषि मंत्री श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रही:

- श्री प्रशांत कुमार, सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार
- श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार
- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
- श्री गौतम कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री अशोक कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया
- श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमती अनामिका शर्मा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री सी. एच. गोपाल कृष्णा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड

इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 91वीं पुस्तिका का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।
बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री गुरु प्रसाद गोंड का सम्बोधन-

सर्वप्रथम, महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने माननीय वित्त एवं कृषि मंत्री, झारखण्ड सरकार; सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों; अग्रणी जिला प्रबंधकों; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राज्य में बैंकिंग गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- ❖ 91वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए श्री गुरु प्रसाद गोंड ने कहा कि यह बैठक एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ वित्तीय समावेशन तथा राज्य के समग्र आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाती है साथ ही भविष्य की रणनीतियाँ भी तय की जाती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से

आग्रह किया कि वे बैठक में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि राज्य के समग्र विकास की दिशा में निर्धारित मार्गदर्शन को प्रभावी रूप से अपनाया जा सके।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री गोंड ने सदन को अवगत कराया कि सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों से राज्य में 31.03.2025 तक कुल जमा में 8.53 प्रतिशत तथा कुल अग्रिम में 16.67 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, इसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात में 5.03 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, जिससे 31.03.2025 तक यह अनुपात बढ़कर 50.68 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ऋण-जमा अनुपात का निर्धारित लक्ष्य 55 प्रतिशत रखा गया था, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः उन्होंने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि आगामी तिमाहियों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें।

  इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक महोदय ने ऋण-जमा अनुपात में सुधार हेतु गठित समिति से अनुरोध किया कि वे ऋण जमा अनुपात में सुधार हेतु एक ठोस रोडमैप तैयार करे ताकि राज्य के सीडी अनुपात में सुधार हो सके।

(एक्शन- राज्य सरकार, एसएलबीसी, समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राज्य ने न केवल सामान्य ऋण वितरण में उल्लेखनीय प्रगति की है, बल्कि पीएमईजीपी जैसी सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होने आगे बताया कि राज्य ने पीएमईजीपी योजना के तहत अपने निर्धारित लक्ष्य का 182 प्रतिशत प्राप्त करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 1520 खातों के लक्ष्य के विरुद्ध 2768 खातों को स्वीकृति प्रदान की है।

  उन्होंने सभी बैंकों एवं एलडीएम को वित्तीय वर्ष में किए गए उनके सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई दी तथा आशा व्यक्त की, कि वे आगामी वित्तीय वर्ष में भी इसी गति एवं प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते रहेंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- श्री गोंड ने सदन को अवगत कराया कि झारखंड राज्य में कार्यरत बैंक न केवल ऋण-जमा अनुपात में निरंतर सुधार कर रहें है, बल्कि वित्तीय समावेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहें है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में बैंकों द्वारा कुल 134 नई शाखाएँ खोली की गई हैं, जिनमें से 99 शाखाएँ अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि बैंकिंग तंत्र वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सेवाएँ पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने आगे बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय द्वारा राज्य में 23,828 स्थानों को बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्र (Unbanked Rural Centers - URCs) के रूप में चिन्हित किया गया है, जहाँ बैंकों को संबंधित एलडीएम के समन्वय से बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होने बताया कि, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भी 36 स्थानों को बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से 31 स्थानों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से कवर किया जा चुका है, तथा शेष 5 स्थानों को भी IPPB द्वारा कवर किया जाना है।

  श्री गोंड ने बैंकों, अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं आईपीपीबी से अनुरोध किया कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और चिन्हित सभी स्थानों को शीघ्रताशीघ्र बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं IPPB)

- श्री गुरु प्रसाद गोंड ने सदन को अवगत कराया कि मध्यम श्रेणी के राज्यों में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा एसएलबीसी झारखंड को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को एपीवाई के नामांकन हेतु उनके सतत प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं, साथ ही साथ, उन्होंने सभी संबंधितों से अनुरोध किया कि वे इसी गति को बनाए रखें तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों को भी आच्छादित करें ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी राज्य अपने इस प्रदर्शन को दोहरा सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- महाप्रबंधक महोदय ने राज्य में बैंकिंग संवाददाता के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों की नियुक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह की दीदीयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे इन दीदीयों को बैंकिंग संवाददाता के रूप में नियुक्त करने की दिशा में प्राथमिकता के साथ कदम उठाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

अपने अभिभाषण के अंत में महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने **RBI,** राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख)व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया। इस सत्र के दौरान सभा अध्यक्ष श्री पी. आर. राजगोपाल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की सहभागिता में श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा की। सत्र के दौरान चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिंदु एवं महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित रहे::

- 90वीं एसएलबीसी की बैठक में माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा उठाए गये मुद्दे का ज़िक्र करते हुए वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि कुछ सहकारी बैंक, व्यक्तिगत किसानों द्वारा ऋण की अदायगी न होने पर, सीधे लैम्प्स और पैक्स के बचत खातों से ऋण राशि काट रहे हैं। इस विषय पर वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड से सदन को इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया।

  मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर लैम्प्स एवं पैक्स शामिल हैं। उन्होने बताया कि लैम्प्स और पैक्स के माध्यम से सदस्यों की भूमि उपलब्धता के आधार पर ऋण की आवश्यकता तय की जाती है और संबंधित सहकारी बैंक में आवेदन किया जाता है, जहां से बैंक, लैम्प्स और पैक्स के नाम पर केसीसी सीमा स्वीकृत करती है, जिसे आगे संबंधित सदस्यों को लैम्प्स और पैक्स द्वारा वितरित किया जाता है।

  मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में ऋण की पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी व्यक्तिगत किसानों की नहीं, बल्कि लैम्प्स और पैक्स की होती है। उन्होने आगे बताया कि सहकारी बैंक द्वारा लैम्प्स/पैक्स के बचत खातों से प्रत्यक्ष रूप से राशि काटने हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। उन्होने यह भी बताया कि इस पर समिति ने सुझाव दिया है कि ऋण आवेदन में इस व्यवस्था की स्पष्टता और सहमति का समावेश किया जाए।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री रोशन चौधरी ने आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उठाए गए उस मुद्दे का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने KVIC को PMEGP ऋण के अंतर्गत लंबित सब्सिडि से संबंधित समस्या के समाधान की सलाह दी थी। इस पर KVIC के निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि वित्त वर्ष कि मार्च महीने में ₹36 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है तथा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है साथ ही साथ उन्होने बताया कि KVIC ने माननीय मंत्री से शेष सब्सिडी की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है, जिस पर मंत्री महोदय द्वारा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ है।

  (एक्शन- KVIC)

- एसएलबीसी के वरिष्ठ प्रबंधक ने सदन को अवगत कराया कि झारखंड राज्य में लगभग 25,000 निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाता हैं, जिनमें से अकेले फिनो पेमेंट बैंक के अंतर्गत लगभग 20,000 निष्क्रिय बीसी हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में फिनो पेमेंट बैंक ने आश्वस्त किया था कि वह रणनीति बनाकर अपने निष्क्रिय बीसी की संख्या में कमी लाएँगे किन्तु फिनो पेमेंट बैंक के निष्क्रिय बीसी की संख्या में अपेक्षित कमी होने कि जगह इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।

  फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि बैंक वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अपने 80 प्रतिशत निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) को बंद करने की प्रक्रिया में है, जिससे निष्क्रिय बीसी की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। ***इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने बैंक को स्वैक्षिक रूप से कार्ययोजना के तहत शेष 20 प्रतिशत निष्क्रिय बीसी को भी आगामी सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक समाप्त करने की सलाह दी।***

  (एक्शन- फिनो पेमेंट बैंक)

- श्री रोशन चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि दिनांक 31 मार्च 2025 तक राज्य के 08 जिले तथा 10 बैंक ऐसे हैं जिनका ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। इस पर ***क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सम्बंधित बैंकों एवं जिलों को अतिगुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अपने ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि कर ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 40 प्रतिशत का स्तर केवल एक benchmark है, और बैंकों को इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।***

  (एक्शन- समस्त बैंक और एलडीएम जिनका सीडी अनुपात 40% से कम है)

- माननीय वित्त मंत्री ने पीपीटी में उल्लिखित बिंदु का संदर्भ लेते हुए देवघर और पश्चिमी सिंहभूम जिलों द्वारा दिसंबर तिमाही की डीसीसी एवं डीएलआरसी बैठकों के आयोजन न किए जाने पर जानकारी मांगी।

  इस पर श्री चौधरी ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उक्त बैठक का आयोजन दिनांक 13 मई 2025 को कर लिया गया है, वहीं, देवघर जिले के एलडीएम से बैठक न बुलाए जाने के संबंध में जानकारी ली गई।

  एलडीएम देवघर ने सूचित किया कि उन्हें डीसी कार्यालय से मई 2025 के अंतिम सप्ताह में बैठक के आयोजन हेतु तिथि प्राप्त हुई है तथा बैठक संपन्न होने के पश्चात इसकी सूचना यथाशीघ्र एसएलबीसी को प्रेषित कर दी जाएगी।

  (एक्शन- एलडीएम देवघर और पश्चिमी सिंहभूम)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

- वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को अवगत कराया कि इंडसइंड बैंक द्वारा माइक्रो एंटरप्राइजेज खातों की रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कुल माइक्रो एंटरप्राइजेज की संख्या में भी कमी आई है।

  इस संबंध में बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को सूचित किया कि बैंक डीक्लासिफिकेशन से संबंधित मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, और यह प्रक्रिया 2025 की पहली तिमाही के अंत तक पूर्ण कर ली जाएगी।

  (एक्शन- इंडसइंड बैंक)

- श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं लीड जिला प्रबंधकों (एलडीएम) से आग्रह किया कि वे तिमाही एसएलबीसी डेटा निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराएँ, जिससे विभिन्न एसएलबीसी उप-समितियों के संयोजकों को समय पर बैठक आयोजित करने में सुविधा हो। उन्होंने एलडीएम से यह भी अनुरोध किया कि वे जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकें समयबद्ध रूप से आयोजित करना सुनिश्चित करें।

  भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने इस अवसर पर कहा कि बैंकों एवं एलडीएम द्वारा डेटा की समय पर और सटीक रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ बैंक समय पर डेटा रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी बैंक को अपने मुख्यालय से डेटा रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही हो, तो वह इस संबंध में एसएलबीसी को सूचित कर सकता है और उसकी एक प्रति आरबीआई को भी प्रेषित की जा सकती है, ताकि एसएलबीसी स्तर पर संबंधित बैंक मुख्यालय से इस विषय को उचित स्तर पर उठाया जा सके।

  (एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- वरिष्ठ प्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य के ऐसे दो बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्रों में, जहाँ जनसंख्या 5000 से अधिक है, ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएं स्थापित करने की सलाह दी गई है। ये दो केंद्र हैं :***सिमडेगा जिले का लोम्बोई गाँव, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आवंटित किया गया है, तथा गुमला जिले का बंदगाँव गाँव, जो बैंक ऑफ बड़ौदा को आवंटित किया गया है।***

  श्री चौधरी ने सदन को यह भी जानकारी दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और जुलाई 2025 तक शाखा स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अब तक एस.एल.बी.सी. को किसी प्रकार की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बैंक द्वारा संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण संपन्न कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शाखा खोलने के मार्ग में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ विद्यमान हैं, जैसे—क्षेत्र के समीप कोई पुलिस थाना न होना, आवश्यक दुकानें एवं सुविधाएँ उपलब्ध न होना तथा उपयुक्त बुनियादी ढाँचे का भी अभाव।

  बैंक के प्रतिनिधि महोदय ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त किसी भी दिशा-निर्देश को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने आगे यह सुझाव भी साझा किया कि यदि प्रस्तावित स्थान को वर्तमान स्थल से लगभग 15–20 किलोमीटर दूर किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, तो शाखा खोलने की संभावना कहीं अधिक व्यवहार्य हो सकती है।

  माननीय कृषि मंत्री महोदय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शाखा स्थानांतरण जैसे निर्णय बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने की समग्र

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

नीति को बाधित कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब आवंटित क्षेत्र की जनसंख्या 7000 से अधिक हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बैंक को इस प्रकार के मामलों में एक ठोस और स्पष्ट अनुशंसा प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि निर्णय मुख्यालय पर छोड़ने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लिया जा सके।

मंत्री महोदय ने बैंकों को सलाह दी कि वे अस्पष्ट या अपूर्ण अनुशंसाएँ अपने मुख्यालय को न भेजें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर नई शाखाएँ खोलने हेतु ठोस प्रयास करें।

(एक्शन- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा)

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सूचित किया गया, कि एसएलबीसी, झारखंड द्वारा प्रेषित प्रत्येक ईमेल बैंक की ओर से बाउंस हो रहा है, जिससे संवाद स्थापित करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है, अतः बैंक से निवेदन है कि कृपया इस तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अपने आईटी विभाग से तत्काल संपर्क कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें।

(एक्शन- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

- सदन में PMJDY, PMSBY और PMJJBY के अंतर्गत खातों की साल दर साल वृद्धि एवं गिरावट पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक राज्य में PMJDY के तहत खातों की संख्या में 6.84% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि, कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन खातों की संख्या में गिरावट दर्ज कि गयी है, ***विशेष रूप से, इंडसइंड बैंक (335), J&K बैंक (212), करूर वैश्य बैंक (153) और जाना SFB (61)में।***

माननीय वित्त मंत्री ने इन बैंकों द्वारा प्रदर्शन में गिरावट पर चिंता व्यक्त की और विशेष रूप से इंडसइंड बैंक से इसका कारण जानना चाहा। बैंक के प्रतिनिधि ने इस गिरावट को स्वीकारते हुए बताया कि बैंक इस विषय को गंभीरता से ले रहा है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी तिमाहियों में प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुझाव दिया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज बढ़ाने हेतु प्रत्येक बैंक को सुदृढ़ रणनीति अपनानी की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि SLBC तथा RBI द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की पाक्षिक समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि इन समीक्षाओं के बावजूद बैंकों द्वारा सुधार नहीं हो रहा है, तो SLBC को संबंधित बैंकों के मुख्यालय को पत्र लिखकर उनके द्वारा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं अन्य सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के तहत अपेक्षित सुधार न होने के विषय से अवगत कराना चाहिए।

(एक्शन- समस्त निजी क्षेत्र के बैंकों एवं एसएलबीसी)

- वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य ₹60,460 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र हेतु ₹70,000 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस प्रकार राज्य के लिए कुल एसीपी लक्ष्य ₹1,30,460 करोड़ निर्धारित किया गया है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने सुझाव दिया कि वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य स्टेट फोकस पेपर में उल्लिखित अनुमानों के अनुरूप रखे जाने चाहिए, क्योंकि यह पेपर राज्य की वास्तविक क्षमताओं, संसाधनों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

सदन ने विचार-विमर्श के उपरांत सभी प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक ऋण योजना को अंतिम रूप देने की सहमति प्रदान की एवं इसे शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप में अनुमोदित करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

ग) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की का सम्बोधन-

- माननीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति तथा विकास की दिशा में बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति कि बैठक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री सहित विभिन्न विभागों के अनेक वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारी सहभागी हो रहे हैं, ऐसे में यह आवश्यक होना चाहिए कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के राज्य प्रमुख ही इस महत्वपूर्ण बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि उनके समक्ष सीधे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सके और उनसे अपेक्षित उत्तर प्राप्त किए जा सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों के समग्र विकास हेतु एक साझा पोर्टल का निर्माण अत्यंत आवश्यक था, ताकि किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी योजनाओं एवं लाभों की समुचित जानकारी एक ही मंच के माध्यम से उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु **'बिरसा किसान पोर्टल'** का विकास विभाग द्वारा किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पोर्टल की आंशिक पहुँच राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रदान की गई है, जिससे बैंकिंग तंत्र की भागीदारी और अधिक प्रभावशाली हो सके।

  माननीय मंत्री महोदय ने यह सुझाव भी दिया कि यदि पोर्टल में किसी प्रकार के संशोधन अथवा सुधार की आवश्यकता अनुभव हो, तो उसे एस.एल.बी.सी. की बैठक में विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि समयोचित सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में केसीसी ऋण वितरण के अंतर्गत राज्य की उपलब्धि केवल 40 प्रतिशत रही है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा ***झारखंड किसान ऋण माफी योजना*** के अंतर्गत ₹2.00 लाख तक के मानक केसीसी ऋण को माफ किया गया है, जो राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत और उपलब्धि है।

  माननीय मंत्री ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में अपने निर्धारित लक्ष्यों का *कम से कम 60 प्रतिशत* प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यह कोई कठिन लक्ष्य नहीं है क्योंकि बैंक किसानों को पुनर्वित्त के माध्यम से भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं।

  इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ***झारखंड राज्य में किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए केसीसी ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज़ दर पर उपलब्ध है***, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिल रहा है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में राज्य की एपेक्स समितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में पाँच एपेक्स समितियाँ कार्यरत हैं, जो सहकारिता से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य स्तर पर किसानों को एक सशक्त और स्थायी बाज़ार उपलब्ध कराया जा सके।

  उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड की ओर से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि इन एपेक्स समितियों की एक बैठक आयोजित की जाए, जिससे इन समितियों की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों पर ठोस निर्णय लिया जा सके। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा पहल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस दिशा में सार्थक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ उन्होने यह भी कहा कि इन समितियों से कई मान्य एफपीओ जुड़े हुए हैं, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि, ये एपेक्स समितियाँ किसानों के लिए प्राइस एग्रीगेटर के रूप में कार्य करें, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य और बाज़ार उपलब्ध हो सके। उन्होने इस संबंध में एक कार्ययोजना बनाने का भी आग्रह किया नाबार्ड से किया।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं नाबार्ड)

- नाबार्ड द्वारा आयोजित कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर एसएलबीसी उप-समिति की बैठक का उल्लेख करते हुए, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बैंकों को केवल मत्स्य पालन ही नहीं, बल्कि पशुपालन जैसे अन्य संबद्ध क्षेत्रों के वित्तपोषण पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि बैंकों को मत्स्यपालन एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत किसानों और एफपीओ को working capital limit के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से मुद्रा ऋण का उल्लेख करते हुए कहा कि अनेक छोटे उद्यमी अपने व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, परंतु बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए अत्यधिक दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

  माननीय मंत्री ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक जनसांख्यिकी को बेहतर ढंग से समझें और एमएसएमई इकाइयों को सरल व सुलभ ढंग से अधिकतम वित्तपोषण प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

घ) निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- श्री ठाकुर ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि वे इस गरिमामयी सभा का हिस्सा बनकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने समयबद्ध तरीके से एसएलबीसी बैठक का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए एसएलबीसी, झारखंड को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- पिछली एसएलबीसी बैठक का उल्लेख करते हुए, वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से प्रतिनिधि को बैठक में आमंत्रित किए जाने की सलाह दी गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी झारखंड का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा है।

  निदेशक महोदय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, संबंधित नोडल अधिकारियों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे इस विषय को प्राथमिकता के साथ लें और इसे शीघ्र सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाना आवश्यक है।

(एक्शन- समस्त बैंक, जेबीवीएनएल एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

BOI झारखंड

❖ श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली एसएलबीसी बैठक में उन्होंने प्रमुख बैंकों — भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक — द्वारा राज्य में RSETI की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि यदि इस दिशा में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, तो वे शीघ्रता से इस पर कार्यवाही करें। साथ ही, उन्होंने इन बैंकों से आग्रह किया कि वे RSETI की स्थापना को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना है।

(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक)

❖ वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक महोदय ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर अपनी गहरी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन योजनाओं में निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी और प्रगति अत्यंत निराशाजनक रही है।

निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में बैंक अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी मुद्दों की गहन समीक्षा हेतु मई 2025 के अंत में एक विशेष बैठक आयोजित की जाए।

(एक्शन- समस्त निजी क्षेत्र के बैंक)

❖ अंत में श्री ठाकुर ने बैंकों द्वारा समय पर डेटा प्रस्तुत न किए जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा सुझाव दिया कि सभी बैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसएलबीसी को आवश्यक डेटा उपलब्ध कराएं, जिससे डेटा का प्रभावी विश्लेषण एवं तदनुसार नीति निर्धारण संभव हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ङ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह का सम्बोधन-

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने नाबार्ड को प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसी सहयोग के परिणामस्वरूप नाबार्ड ने राज्य में ₹6500 करोड़ की ऐतिहासिक विकासात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग के सहयोग और मार्गदर्शन से नाबार्ड ने राज्य सरकार को RIDF के तहत ₹2015 करोड़ की रिकॉर्ड सहायता प्रदान की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

श्री सिंह ने यह भी जानकारी दी कि उपरोक्त के अतिरिक्त, सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत सिंचाई कार्यों में गति लाने हेतु नाबार्ड ने **LTIF** के अंतर्गत राज्य सरकार को **₹252** करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे लगभग **2.36** लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय समावेशन नाबार्ड का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन कोष के तहत झारखंड राज्य में **30,000** वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु **₹7.25** करोड़ की राशि वितरित की गई है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ वित्त वर्ष **2024-25** के लिए एसीपी पर चर्चा के दौरान, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने अपनी मुख्य बातें साझा करते हुए कहा कि ट्रेंड के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में **absolute term** में वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि, यदि एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना वित्त वर्ष **2023-24** से की जाए, तो उसमें गिरावट देखने को मिली है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में **agri infrastructure** क्षेत्र पर विशेष वृद्धि देखने को मिली है, इसके बावजूद, कुल कृषि क्षेत्र की वृद्धि का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य का फोकस कृषि क्षेत्र से एमएसएमई और अन्य विविध प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है।

सीजीएम नाबार्ड ने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करे तो, कृषि ऋण की कुल वितरण राशि में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष **2022-23** में कृषि ऋण का वितरण **3987** करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष **2024-25** में घटकर **3725.82** करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने आगे बताया कि समग्र कृषि क्षेत्र में भी इसका हिस्सा भी **54.74%** से घटकर **40.50%** हो गया है।

श्री सिंह ने आगे कहा कि राज्य में कुल कृषि ऋण वित्त वर्ष 2024-25 में ₹12,102 करोड़ से बढ़कर ₹15,370 करोड़ हो गया है, जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि इस सकारात्मक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के लक्ष्य में वृद्धि की जाए।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- ❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने सभी बैंकों एवं एलडीएम के राज्य प्रमुखों को ऋण जमा अनुपात **50.68** प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए बधाई दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यद्यपि यह उपलब्धि सराहनीय है, फिर भी वित्त वर्ष **2024-25** के लिए निर्धारित लक्ष्य **55** प्रतिशत था। उन्होंने बैंकों और एलडीएम से अनुरोध किया कि वे समन्वित प्रयासों के माध्यम से वित्त वर्ष **2025-26** में इस अनुपात को कम से कम **60** प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- ❖ श्री सिंह ने तिलहन और दलहन की फसल के लिए बैंकों द्वारा सक्रिय वित्तपोषण का सुझाव दिया और उल्लेख करते हुए बताया कि झारखंड में इन फसलों की उत्पादकता विश्व औसत से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि तिलहन एवं दलहन की उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए एक समग्र रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिसके लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने हेतु कार्यशाला आयोजित करने में नाबार्ड अग्रणी भूमिका निभाएगा

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- ❖ आंकड़ों पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने उल्लेख किया कि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में गंभीर विसंगतियाँ देखी गई हैं। उन्होंने बताया कि एसएलसीबी की उप-समिति की बैठकों में नाबार्ड लगातार इस विषय को उठा रहा है। उदाहरण स्वरूप, झारखंड राज्य में औसत टिकट आकार ₹57,000 प्रति खाता है, जबकि ***एक्सिस बैंक ने ₹10 लाख प्रति खाता, फेडरल बैंक ने ₹3.85 लाख प्रति खाता तथा एचडीएफसी बैंक ने ₹2.85 लाख प्रति खाता*** का औसत टिकट आकार दर्शाया है, जो कि राज्य के औसत से अत्यधिक विचलन को दर्शाता है।

  श्री सिंह ने इन बैंकों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे डेटा प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी गहन जांच एवं पुष्टि अवश्य करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उप-समिति की बैठकों में इन बैंकों की ओर से प्रायः **junior** अधिकारियों की भागीदारी होती है, जिन्हें योजनाओं और आंकड़ों की समुचित जानकारी नहीं होती। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित बैंक केवल उन्हीं अधिकारियों को नामित करें, जो इन योजनाओं की कार्यप्रणाली और आँकड़ों की बारीकियों से भली-भाँति परिचित हों।

(एक्शन- एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं समस्त निजी क्षेत्र के बैंक)

- ❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि नाबार्ड, राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के समग्र विकास पर कार्य करना चाहता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हवाई अड्डे के निकट पीएसी हाउस,

कोल्ड स्टोरेज कक्ष तथा अत्याधुनिक कार्गो सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास अत्यावश्यक है, ताकि जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज का समुचित भंडारण एवं त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।

(एक्शन- नाबार्ड एवं राज्य सरकार)

- श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया कि नाबार्ड ने राज्य के लिए जीआई टैगिंग की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल की है। वर्तमान में झारखंड राज्य में केवल 'सोहराई' उत्पाद को ही भौगोलिक संकेत (**GI**) टैग प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य के पाँच विशिष्ट उत्पाद—भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, आदिवासी आभूषण, कानी शॉल और बांस शिल्प—को जीआई टैगिंग के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में राज्य को इन सभी पाँचों उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा, जिससे स्थानीय कारीगरों को पहचान और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य की स्थापना के बाद से नाबार्ड ने आदिवासी समुदायों के सतत विकास हेतु सराहनीय कार्य किया है। विगत वित्तीय वर्ष तक नाबार्ड द्वारा राज्य में कुल **61** जनजातीय विकास कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जो मुख्यतः **orchard** आधारित हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग **35,000** परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा है। साथ ही, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से **51** वाटरशेड विकास परियोजनाएं भी क्रियान्वित की गई हैं, जिनसे लगभग **58,000** हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषियोग्य बनाया गया है, जिससे राज्य के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त आधार प्राप्त हुआ है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- लैम्प्स एवं पैक्स की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने बताया कि नाबार्ड द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वय से प्रथम चरण में **1500** पैक्स का कंप्यूटरीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत शेष **2871** पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में ही प्रारंभ कर दी जाएगी।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार, कृषि विभाग के साथ समन्वय कर 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 1100 किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में पतरातू (रामगढ़ क्लस्टर) और पश्चिमी सिंहभूम में प्राकृतिक खेती का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रारंभ किया है, जिसे 'जीवा' नाम दिया गया है।

  श्री सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। उन्होंने यह जानकारी भी साझा की कि नाबार्ड ने दुमका, हजारीबाग और लोहरदगा जिलों में तीन और 'जीवा' परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, और इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

अंत में, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने आशा व्यक्त की कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं एसएलबीसी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए झारखंड राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

च) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन

- भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने कहा कि यह बैठक वित्त वर्ष 2025-26 की पहली बैठक है, और इसका आयोजन पूरे वित्त वर्ष के लिए दिशा और रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के लिए सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही, उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में भी उसी समर्पण, प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया, जिससे विकास के लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- श्री सिंह ने 50 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों (एल.डी.एम.) को सलाह दी कि ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि ऋण की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वृद्धि संतुलित एवं सतत होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में एन.पी.ए. का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है।

  क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने बताया कि कई बार उधारकर्ताओं की अनभिज्ञता के कारण उनके ऋण खाते एनपीए की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः उन्होंने बैंकों को सुझाव दिया कि वे ऋण अनुशासन के प्रति उधारकर्ताओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने आरबीआई की 90वीं वर्षगाँठ की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर को स्मरणीय बनाने हेतु आरबीआई रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य में विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पहल राज्य के 90 विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन रहा। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं, उनके उपभोक्ता अधिकारों तथा वित्तीय ज्ञान के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे न केवल अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बन सकें, बल्कि अपने परिवारजनों और समुदाय को भी वित्तीय समावेशन एवं जागरूकता की मूल बातों से अवगत करा सकें।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) की जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड राज्य में दूध उत्पादकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें डिजिटल माध्यम से ऋण वितरण की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की फिनटेक टीम, इनोवेशन हब और झारखंड सरकार के वित्त विभाग के सहयोग से झारखंड मिल्क फेडरेशन को एक एमओयू प्रस्ताव भेजा गया है। एमओयू पर हस्ताक्षर के पश्चात झारखंड, गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जहाँ यूएलआई के माध्यम से दूध उत्पादक को पूर्णतः डिजिटल ऋण वितरित करने की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। यह हम सभी झारखंडवासियों के लिए गर्व का विषय है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि यदि सभी हितधारक आपसी सहयोग, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ हमारा राज्य उत्कृष्ट प्रदर्शन न कर सके। उन्होंने सभी बैंकों से अपील की कि जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर पर नहीं है, वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों से सीख लेकर अपने कार्यों में सुधार करें, ताकि समग्र रूप से राज्य की बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

BOI झारखंड

❖ आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक न केवल वित्तीय जागरूकता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करता है, बल्कि इन पहलों के माध्यम से वह वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि अपनी मूल जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, आरबीआई देश और राज्यों के समग्र विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो इसे अन्य केंद्रीय बैंकों से अलग बनाता है।

उन्होने आगे बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए अन्य हितधारकों के साथ भी सहभागिता करता है। 2017 में शुरू किये गये वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना, इस सहयोगी दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों को आरबीआई द्वारा प्रशासित निधि से वित्तीय सहायता मिलती है। वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य में कुल 12951 वित्तीय साक्षारता कैंप लगाए गये जिसके लिये आरबीआई द्वारा कुल ₹3.22 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक को प्रदान की गयी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तिमाही तक कुल 10531 वित्तीय साक्षारता कैंप लगाए गये हैं जिसके लिये आरबीआई द्वारा कुल ₹3.25 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक को प्रदान की जायेगी।

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2024 को जेएसएलपीएस, झारखंड सरकार को ₹4.88 लाख की वित्तीय राशि प्रदान की गयी जिसकी सहायता से जेएसएलपीएस द्वारा झारखंड राज्य में कुल 10 वित्तीय साक्षारता कैंप का आयोजन किया गया। जेएसएलपीएस के ग्रामीण स्तर तक उनके पहुँच को ध्यान में रखते हुये इस प्रोजेक्ट को पायलट पर झारखंड राज्य में शुरू किया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया कि लीड बैंक योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रस्ताव भेजे गए हैं तथा उनसे 23 मई तक सुझाव प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सदन को अवगत कराया कि आरबीआई, रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि आने वाले 10 वर्षों में केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों को कौन-कौन सी संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्रम में, आरबीआई रांची कार्यालय ने आरबीआई की पूर्व उप-गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया, ताकि उनके बहुमूल्य अनुभव व मार्गदर्शन से इस पहल को दिशा दी जा सके।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री सिंह ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अपने डोमेन नाम को '**.bank.in**' में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग वेबसाइटों की पहचान को अधिक सुरक्षित और स्पष्ट बनाना है, ताकि आम जनता को असली और नकली वेबसाइटों में अंतर करने में आसानी हो तथा साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यह एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल है, और बैंकों को अक्टूबर 2025 तक इस नए डोमेन पर स्थानांतरित होने की सलाह दी गई है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

BOI झारखंड

❖ आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्राथमिकता क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की सीमा को पुनः परिभाषित किया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आने वाली शिक्षा ऋण की सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जबकि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रति उधारकर्ता ऋण सीमा ₹30 करोड़ से बढ़ाकर ₹35 करोड़ कर दी गई है।

उन्होंने बैंकों से अपील की कि वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निर्धारित की गई इन बढ़ी हुई सीमाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरण सुनिश्चित करें, जिससे समावेशी विकास को बल मिले।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अपने संबोधन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि वर्तमान में राज्य में केवल एक ही उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी 24 जिलों में एक व्यापक अभियान चलाया जा सकता है, ताकि प्रत्येक जिले के कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए नए उत्पाद समूहों की पहचान करना आवश्यक है, और इस दिशा में सभी संबंधित हितधारकों को समन्वय स्थापित करते हुए ठोस प्रयास करने होंगे।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ अंत में, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को सभी क्षेत्रों में सतत प्रगति सुनिश्चित करने तथा यह ध्यान रखने की सलाह दी कि किसी भी क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि न हो। उन्होंने बैंकों को सुझाव दिया कि वे अपने-अपने विकास की रणनीति तैयार करें, जिससे राज्य के समग्र विकास में सार्थक योगदान दिया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

छ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री पी आर राजगोपाल का सम्बोधन -

❖ एसएलबीसी झारखंड की ओर से बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने माननीय वित्त एवं कृषि मंत्री को एसएलबीसी की बैठकों में नियमित रूप से सहभागी बनने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय की सक्रिय उपस्थिति के कारण बैठक में विषयों की प्रभावी एवं सम्यक समीक्षा संभव हो पा रही है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक महोदय ने कहा कि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने बिल्कुल सही कहा है कि राज्य में अपार संभावनाएं हैं और इसी के अनुरूप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पोटेंशियल लिंक्ड प्लान तैयार किया गया है, किन्तु जहां तक वार्षिक ऋण योजना का प्रश्न है, उसका लक्ष्य या तो अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी हो सकता है या फिर बहुत सहज।

अतः उन्होंने एसएलबीसी को सलाह दी कि वे दोनों पहलुओं की सम्यक समीक्षा करें और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत एक व्यावहारिक एवं यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारित करें।

(एक्शन- एसएलबीसी)

❖ माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करते हुए, श्री राजगोपाल ने कहा कि माननीय मंत्री ने केसीसी फसल ऋण, मत्स्य पालन, पशुपालन, सहकारी समितियों एवं सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित किया है। इस संदर्भ में उन्होंने बैंकों एवं एलडीएम को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम वित्तपोषण सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक महोदय ने अनुरोध किया कि एसएलबीसी सरकारी प्रायोजित योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समुचित समीक्षा करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना बैंकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये योजनाएं समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही, उन्होने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से बैंकों को ऋण वितरण में व्यापक संभावनाएँ भी मिलेगी।

(एक्शन- एसएलबीसी)

❖ श्री राजगोपाल ने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक का झारखंड राज्य में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु किए गए उनके प्रभावी हस्तक्षेप एवं प्रयासों के साथ-साथ एसएलबीसी की समीक्षात्मक बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बैंकों और एलडीएम से आग्रह किया कि वे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने प्रदर्शन की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें और चालू वित्त वर्ष के लिए वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्पित प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक महोदय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों में प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गत तीन वर्षों की तुलना में राज्य का ऋण-जमा अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो बैंकिंग क्षेत्र में समन्वित प्रयासों और बेहतर निष्पादन का प्रमाण है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री पी. आर. राजगोपाल ने कहा कि नाबार्ड ने झारखंड राज्य के लिए बैंकर्स के हित में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। उन्होंने बैंकर्स को सुझाव दिया कि वे इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, इन योजनाओं को केंद्र में रखते हुए कार्ययोजनाएं तैयार करें, और इनके अंतर्गत उपयुक्त वित्तपोषण सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ अंत में, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत एसीपी लक्ष्य का 91 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही, उन्होंने बैंकरों से आग्रह किया कि वे इसी समर्पण और उत्साह के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के एसीपी लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ज) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन-

❖ श्री प्रशांत कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) की उपलब्धि, सीडी अनुपात, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात वर्षों के साथ बेहतर हुआ है, लेकिन हमें मार्च 2026 तक ऋण-जमा अनुपात में 60 प्रतिशत तक पहुँचाने का ठोस लक्ष्य निर्धारित करने की भी आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि वित्त विभाग राज्य के सभी सरकारी खातों का **mapping** करने का प्रयास कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके कि विभिन्न सरकारी खातों में कितनी राशि उपलब्ध है तथा उन राशियों का

BOI झारखंड

उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां संधारित सरकारी खातों को वित्त विभाग के *इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम* **(IFMS)** डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करें।

(एक्शन- समस्त सरकारी खातों वाले बैंक)

❖ श्री कुमार ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में अब भी अनेक ऐसे गाँव हैं जहाँ ब्रिक एंड मोर्टर की पारंपरिक बैंक शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में लाने के लिए बैंकिंग संवाददाता एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

उन्होंने मंच से यह अनुरोध किया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए, ताकि इसकी गतिविधियों का समन्वय अन्य बैंकों के साथ बेहतर रूप से किया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने यह जिज्ञासा भी व्यक्त की कि क्या बैंकिंग संवाददाता एवं आईपीपीबी केंद्रों के माध्यम से खोले गए ग्राहकों के खातों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, मोबाइल बैंकिंग, या यूपीआई जैसी सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं?

(एक्शन- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)

झ) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

❖ माननीय वित्त मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) की प्रत्येक तिमाही बैठक में निरंतर प्रगति देखी जा रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने सदैव एस.एल.बी.सी. की बैठकों में भाग लेने में गहरी रुचि दिखाई है, क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री किशोर ने कहा कि वे 89वीं एसएलबीसी बैठक से एसएलबीसी की बैठकों में भाग ले रहे हैं, अर्थात उन्होंने अब तक तीन बैठकों में भागीदारी की है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे यह साझा करें कि पिछली दो बैठकों की तुलना में इस बैठक में क्या नवीनता देखने को मिली है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है — यह समीक्षा करनी होगी कि पिछली बैठकों की तुलना में हमने अब तक क्या प्रगति की है और हम वर्तमान में कहां खड़े हैं।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि झारखंड राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार और बैंकों के बीच समन्वय और साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के 24 जिलों में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं, और इन जिलों का सतत विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि इन आकांक्षी जिलों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे इन जिलों में संचालित योजनाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करें तथा विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ माननीय मंत्री महोदय ने नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम से सदन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय केवल **₹1,14,000** है जो दर्शाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

BOI झारखंड

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के लोग अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन एवं मत्स्य पालन जैसी विविध गतिविधियों में संलग्न हैं। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जो न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं।

श्री किशोर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि झारखंड राज्य कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी पीछे है। उदाहरण स्वरूप, देश में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता औसतन **475** ग्राम है, जबकि झारखंड में यह मात्रा मात्र **209** ग्राम है। इसी प्रकार, राज्य में मछली उत्पादन की मात्रा भी अपर्याप्त है, जिसके कारण झारखंड को पड़ोसी राज्यों से मछलियों का आयात करना पड़ता है।

अंत में, उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वार्षिक ऋण योजना तैयार करते समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा जाए। उन्होंने बल देकर कहा कि यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त नहीं बनाएंगे, तो झारखंड की समग्र आर्थिक प्रगति संभव नहीं होगी।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों को राज्य में ऋण जमा अनुपात में सुधार पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य में ऋण जमा अनुपात की औसत वार्षिक वृद्धि मात्र 2 प्रतिशत है, जो कि 31 मार्च 2025 तक यह 50.68 प्रतिशत रही। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वर्तमान गति बनी रही, तो राज्य को 70 प्रतिशत सीडी अनुपात तक पहुँचने में लगभग 10 वर्ष लग सकते हैं। अतः उन्होंने एस.एल.बी.सी. से आग्रह किया कि ऋण जमा अनुपात में वार्षिक 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एसएलबीसी)

- श्री किशोर ने बताया कि झारखंड राज्य में अनेक विरासत स्थल स्थित हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे इन क्षेत्रों में वित्त पोषण कर राज्य के पर्यटन विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। उन्होंने उल्लेख किया कि सतही जल के संरक्षण में हमारी असफलता के कारण भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, उन्होंने बैंकों से अपील की कि वे इस दिशा में सहयोग करें और यह विचार करें कि किस प्रकार सतही जल का संरक्षण कर हम अपने गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को पुनः संतुलित कर सकते हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर बल देते हुए कहा कि झारखंड राज्य में विविध प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है, जिनके आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। उदाहरण स्वरूप, टमाटर आधारित प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार, कटहल, आंवला आदि जैसे स्थानीय उत्पादों पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना भी राज्य में सम्भव है। उन्होंने आगे कहा कि यदि राज्य के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए, तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

❖ माननीय मंत्री महोदय ने 19 आकांक्षी जिलों पर विशेष बल देते हुए बैंकों एवं एल.डी.एम. को सलाह दी कि वे इन जिलों में शिविरों का आयोजन करें, जिसके माध्यम से जनसाधारण को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए तथा आवश्यकतानुसार उन्हें लाभान्वित करने हेतु यथासंभव सहायता भी प्रदान की जाए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ माननीय मंत्री महोदय ने एक व्यक्ति की दो विभिन्न पहचानों में नाम में मामूली अंतर का मुद्दा उठाया और उल्लेख किया कि पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा डाल्टनगंज ने इस अंतर के कारण एक वरिष्ठ नागरिक का खाता में रोक लगा दी गयी है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि नाम में मामूली भिन्नता के मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए खातों में रोक न लगाए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक)

❖ अंत में, माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से वास्तविक उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकलन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक केसीसी के अंतर्गत ऋण प्रदान कर रहे हैं, तो बैंक एवं राज्य सरकार, दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन ऋणों के माध्यम से क्या वास्तविक और वृद्धिशील परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार, शिक्षा ऋण के संदर्भ में भी बैंकों को यह निगरानी करनी चाहिए कि इस ऋण सुविधा के माध्यम से कितने छात्र उच्च शिक्षा हेतु विदेश गए हैं। उन्होंने बैंकों तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे राज्य में वितरित ऋणों के आधार पर उत्पन्न वास्तविक उत्पादन और परिणामों का गहन विश्लेषण करें।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं समस्त बैंक)

91वीं एसएलबीसी बैठक के अवसर पर, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य एवं अतिरिक्त प्रयासों के लिए बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को बैठक में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वितरित किए गए पुरस्कार इस प्रकार हैं:

- **Bank of India: Pioneer Lead Award for ACP Achievement under priority Sector for FY 2024-25.**
- **Bank of India: Supreme Achievement Award for Exemplary performance under Government Sponsored Scheme for FY 2024-25**
- **Central Bank of India: Change Maker Award for highest enhancement in CD Ratio**
- **State Bank of India: Exemplary Awar of Par Excellence for Social Security scheme**
- **ICICI Bank: Distinguished Service Award for opening highest number of Branches in FY 2024-25**
- **JRG Bank: Synergy Award for overall performance in the State**
- **LDM Sahibganj: Transformational Lead Award for highest enrolment in Social Security Scheme**
- **LDM Giridih: Rising Award for Government sponsored Scheme**
- **LDM East Singhbhum: Sustainability Award highest growth in CD Ratio**

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सी एच गोपाला कृषणा ने एस.एल.बी.सी की 91वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(गुरु प्रसाद गोंड)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

91 वीं एसएलबीसी बैठक, मार्च 2025

14 मई 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	वित्त मंत्री	झारखंड सरकार	
2	श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की	कृषि मंत्री	झारखंड सरकार	
3	श्री प्रशांत कुमार, भा.प्र.से	सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
4	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	निदेशक	वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार	
5	श्री पी आर राजगोपाल	कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
6	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
7	श्री गौतम कुमार सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
8	श्री अशोक कुमार पाठक	मुख्य महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
9	श्री गुरु प्रसाद गोंड	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
10	श्री प्रदीप कुमार हजारी	विशेष सचिव सह सलाहकार	कृषि विभाग	9441821911
11	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	
12	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	9492783000
13	श्री प्रशांत देशपांडेय	सहायक महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9422654648
14	श्री अंगशुमन हलधर	उप महाप्रबंधक	IDBI बैंक लिमिटेड	9007009174
15	श्री आलोक कुमार	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8328387992
16	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
17	श्री सीएच गोपाल कृष्ण	उप महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
18	श्री अवधेश कुमार झा	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	7044079919
19	श्री संजय कुमार मिश्रा	उप महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7398292434
20	श्री मनीष कुमार	उप महाप्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9820629546
21	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	
22	श्री पी.आर. झा	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	
23	श्री हरिहर पुत्रन एस	सहायक महाप्रबंधक	नाबार्ड	9840308894
24	श्री राजेश शरण	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9800005483
25	श्री राज कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	
26	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	
27	श्री के एम नेहरू	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9557760628
28	श्रीमती भावना सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	यूको बैंक	9835600823
29	श्री कमलेश मंडल	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
30	श्री कुमार राहुल	मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9689783711
31	श्री मुकुल प्रवीण एक्का	सहायक महाप्रबंधक	सिडबी	
32	श्री अरविन्द एक्का	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
33	श्री सनी	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
34	श्री बिजय कुमार सेठी	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395611
35	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरएसईटीआई	जेएसएलपीएस	9431901016
36	श्री धीरज कुमार	एसएनओ एफआई	जेएसपीएलएस	896170434
37	श्री हरि प्रसाद बियानी	सह-अध्यक्ष,	जेएसआईए	8002685608
38	श्री शिवम सिंह	HONY. सचिव	जेएसआईए	9835334399
39	सीए एम के जैन	बैंकिंग समिति	एफजेसीसीआई	9431170418
40	श्री चंदन किशोर	परियोजना समन्वयक	झारखंड राज्य एससी सेवा सहयोग लिमिटेड	9749076819
41	श्री मांगे राम	निदेशक	केवीआईसी रांची	9530722141
42	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी रांची	9474059775
43	श्री एस के चौधरी	प्रतिनिधि	एनएसएसएचओ	
44	श्री शम्भू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन	7903097749
45	श्री सुशील कुमार	एजीएम	एनएचबी	7506173514
46	श्री परिचय	आरएम	एनएचबी	8130498079
47	श्री अमन आदित्य	एएम	एनएचबी	8448291940
48	सुश्री अंजलि लाकड़ा	राज्य प्रमुख परियोजना प्रबंधक	उद्योग निदेशालय	7043021312
49	श्री शशि भूषण मिश्रा	एसडीआर	NACER	9330752100
50	श्री टी पी शर्मा	संयुक्त रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार कार्यालय	9431165349
51	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	एनएआर-MoRD	9073396646
52	श्री एम खान	संयुक्त सचिव	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	9431165070
53	डॉ. एच.एन.द्विवेदी	निदेशक	मत्स्य पालन	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

91 वीं एसएलबीसी बैठक, मार्च 2025

14 मई 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
54	फ्लाइट लेफ्टिनेंट उज्ज्वल घोष	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9771431574
55	श्री अमित कुमार सिंह	क्षेत्रीय प्रमुख	बंधन बैंक	9771247666
56	श्री सुमित कुमार	रिलेशनशिप मैनेजर	बंधन बैंक	9693819579
57	श्री पीयूष कुमार मोदी	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291878
58	श्री प्रबोध कुमार	प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
59	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
60	श्री बिपिन बिहारी	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	
61	श्री सुबोध रंजन शतपथी	मुख्य प्रबंधक	पंजाब & सिंध बैंक	9853536833
62	श्री मनीष जेटवा	डीवीपी	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड	7549150009
63	श्री मनीष कुमार सिन्हा	क्लस्टर प्रमुख	यस बैंक	9934010122
64	**अनुपस्थित**		**साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड**	
65	श्री उत्तम कुमार रॉय	एवीपी	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	9471307413
66	श्री अंकित चौधरी	सहायक प्रबंधक	ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	8714990706
67	श्री एस के धींज	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	9973577894
68	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8084173101
69	श्री हेमन्त कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9801491770
70	श्री फरहान जलाली	क्षेत्रीय प्रमुख	जना स्मॉल फाइनेंस बैंक	7280073087
71	श्री रवि शंकर	एवीपी	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक	7781003289
72	श्री अमरेन्द्र झा	प्रबंधक	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	9334616474
73	श्रीमती ज्योति कुमारी	एवीपी	डीबीएस बैंक	7547088880
74	श्री विक्रम कुमार	ए.वी.पी	एयरटेल पेमेंट बैंक	7541049105
75	श्री शैलेन्द्र झा	ए.वी.पी	फिनो पेमेंट्स बैंक	9955996520
76	श्री अनिकेत विश्वकर्मा	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9040372860
77	श्री कार्तिक के	क्लस्टर हेड	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	8618040546
78	श्री रबीश कुमार	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	8789949172
79	श्री फ़हाद अहमद शाह	प्रबंधक	जम्मू & कश्मीर बैंक लिमिटेड	9596387070
80	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395612
81	श्री प्रताप होरो	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9049724477
82	श्री सुभाष कुमार	ए.वी.पी	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7260811600
83	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	सहायक प्रबंधक	फेडरल बैंक लिमिटेड	7903032033
84	श्री परविन्दर सिंह	क्षेत्रीय प्रमुख	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9771413009
85	श्री सैयद अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
86	श्री अमरेन्द्र सिंह	क्लस्टर हेड	आईडीएफसी बैंक	7209636542
87	श्री क़मरूल होदा	क्लस्टर हेड	इंडसइंड बैंक	9830992994
88	श्री मंतोष यादव	परिचालन प्रमुख	आरबीएल बैंक	7683039299
89	**अनुपस्थित**		**सिटी यूनियन बैंक**	
90	श्री आबिद हुसैन	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	8451978491
91	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8340133328
92	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	8298715715
93	श्री संतोष कुमार	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	7260814454
94	श्री अमृत चौधरी	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	8210169991
95	श्री पवन कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	8879743105
96	श्री किशोर कुमार	हजारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572016960
97	श्री ऋषिकेश कुमार	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	9661859585
98	श्री विमल कांत झा	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7710967100
99	श्री नितिन कुमार	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8177819118
100	श्री दिलीप महली	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	7796504828
101	श्री अजित कुमार	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	9007826480
102	श्री बरुण के.आर. चौधरी	सरायकेला खरसावां	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903255293
103	श्री सानिस मिंज	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7991140367
104	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
105	श्री चन्द्रशेखर पटेल	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	9074485076
106	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295

91 वीं एसएलबीसी बैठक, मार्च 2025				
14 मई 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची				
क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
107	श्री सधू समद	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	7992310119
108	श्री सत्यदेव रंजन	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
109	श्री बालादित्य	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470650026
110	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
111	श्री धनेश्वर बेसरा	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438410
112	श्री एंथोनी लियांगी	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
113	श्री सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
114	श्रीमती सुनीता कुमारी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
116	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
117	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
118	श्री प्रदीप चटर्जी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
119	सुश्री जागृति	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
120	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
121	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
122	श्री सुमित कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
123	श्री अश्वनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
124	श्री ऋषव श्रीवास्तव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
125	सुश्री शिल्पी भाटिया	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		
126	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति		

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BO झारखण्ड